



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1170 / SEIAA/2022

Date: 15/7/22

प्रति,

कलेक्टर,

जिला शाजापुर (म.प्र.)

विषय :- प्रकरण क्र. 9246/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 675, रकबा 2.364 हेक्टेयर, भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण पर 737वीं SEIAA बैठक दिनांक 13.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

"राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज दिनांक 12.04.2017 को हस्तांतरित की गई है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में कलेक्टर, शाजापुर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि लीज हस्तांतरण दिनांक से नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त निर्णयानुसार प्रस्तावित खदान में लीज हस्तांतरण दिनांक से नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन किया गया है अथवा नहीं के संबंध में कृपया स्पष्ट अभिमत प्रदान करने का कष्ट करें।


(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

क्र. 1171
प्रतिलिपि :-

/SEIAA/2021

भोपाल दिनांक 15/7/22

1. श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की ओर सूचानार्थ।


सदस्य सचिव 15/7/22

